मानक संचालन प्रक्रिया

" सामान्य कार्यप्रणाली"

(एसओपी)

वनाधिकार अधिनियम के अधीन 2006
व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दावा करने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार

मानक संचालन प्रक्रिया

“ सामान्य कार्यप्रणाली”

(एसओपी)

वनाधिकार अधिनियम के अधीन 2006
व्यक्तिगत, सामुदायिक एवं सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का
दावा करने के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रिया

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार

प्रयोज्यता

यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) झारखण्ड में वनाधिकार अधिनियम (एफआरए), २००६ के प्रावधानों के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर) सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआरआर) के दावों की फाइलिंग को समर्थन करने वाले सभी कार्यक्रमों के लिए लागू होती है। यह एसओपी झारखण्ड के सभी हितधारकों के लिए लागू होती है, जो वनाधिकार अधिनियम (एफआरए), २००६ के तहत दावों के तहत किसी भी कार्य में शामिल हैं।

उद्देश्य

जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो एफआरए के लिए नोडल एजेंसी है, ने अपने विभागीय आदेश संख्या 203011/18/2015-एफआर, दिनांक 28 अप्रैल 2015 के अनुसार विधि के उचित क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया है। प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के सही क्रियान्वयन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी हितधारकों द्वारा तकनीकी हस्तक्षेप की आवश्यकता को हमेशा से उचित बताया गया है।

उपर्युक्त आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए, यह एसओपी, आईएफआर, सीएफआर और सीएफआरआर के लिए त्वरित, त्रुटि-मुक्त और सुगम दावा दाखिल करने में डिजिटल प्रौद्योगिकी (मोबाइल या वेब-आधारित प्लेटफॉर्म , जिसे आगे "ऐप" कहा जाएगा) के उपयोग से संबंधित प्रक्रियाओं को वर्णित करती है। एसओपी में वर्णित डिजिटल हस्तक्षेप से दावा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में लेनदेन का समय घटा करके मौद्रिक दावा दाखिल करने की क्षमता में वृद्धि होती है। एफआरए, २००६ के अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकृतियों के तहत अधिकार का अंतिम रूप से जमा करने का प्रतिस्थापन नहीं है।

परिभाषाएँ

1. एसओप: मानक संचालन प्रक्रिया एक दस्तावेज है जो जांच की गुणवत्ता से संबंधित नियमित रूप से होने वाले संचालनों का वर्णन करती है। एसओप का उद्देश्य संचालनों को सही ढंग से और हमेशा एक ही तरीके से करना है।

2. झार एफआरए ऐप: सीएफआर और सीएफआरआर अधिकारों के दावा सृजन और दाखिल करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने वाले मोबाइल एवं वेब-आधारित प्लेटफॉर्म के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप।

3. ग्राम सभा और गांव: एफआरए, 2006 के उद्देश्यों के लिए "ग्राम सभा" और "गांव" शब्दों को अधिनियम की धारा 2(छ) और 2(त) में परिभाषित किया गया है, जहां किसी भी वन ग्राम, पुरानी आबादी या बस्ती और अनसर्वेक्षित गांव को भी गांव के रूप में माना जा सकता है। ऐसी संस्थाएँ, भले ही वे गांव के रूप में अधिसूचित या अभिलिखित न हों, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए गांव के रूप में मान्यता प्राप्त हैं।

4. वन अधिकार समिति (एफआरसी): 4. वन अधिकार समिति (एफआरसी): ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा बुलाई जाती है और अपनी पहली बैठक में वह अपने सदस्यों में से कम से कम दस और अधिकतम पंद्रह

व्यक्तियों की एक समिति को वन अधिकार समिति के सदस्यों के रूप में चुनेगी, जिसमें कम से कम दो-तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के होंगे। यह भी प्रावधान है कि ऐसे सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई महिलाएँ होंगी। चुने हुए एफआरसी सदस्य अपने मे से एक अध्यक्ष और एक सचिव चुनेंगी |

5. अनुमंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी): एफआरए, 2006 की शासन संरचना के प्रावधानों के तहत, एसडीएलसी पहली अपीलीय प्राधिकारी है और अधिनियम के क्रियान्वयन में ग्राम सभाओं का समर्थन और देखरेख करने वाली प्राधिकारी है। अनुमंडलस्तरीय समिति की संरचना और कार्यों और उनके कार्यों को निभाने की प्रक्रिया का वर्णन एफआरए, 2006 की धारा 6 की उप-धारा (9) और एफआरए नियमों की धारा 5 और 6 के तहत किया गया है।

6. जिला स्तरीय समिति (डीएलसी): एफआरए, 2006 की शासन संरचना के प्रावधानों के तहत, डीएलसी टाइटल की मंजूरी और हस्तांतरण के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकारी है। जिला स्तरीय समिति की संरचना और कार्यों और उनके कार्यों को निभाने की प्रक्रिया का वर्णन एफआरए, 2006 की धारा 6 की उप-धारा (9) और एफआरए नियमों की धारा 7 और 8 के तहत किया गया है।

7. अधिकारों का रिकॉर्ड (आरओआर): अधिकारों का रिकॉर्ड राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा रखे गए भूमि रिकॉर्ड रजिस्टरों से एक अंश है। आरओआर में भूमि संपत्ति के संबंध में पूरी कानूनी जानकारी और भूमि धारकों के इतिहास की जानकारी होती है।

पृष्ठभूमि

सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या है?

एफआरए, 2006 वनवासी अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वन निवासियों के एक सदस्य या सदस्यों द्वारा आवास, आत्म-कृषि, जीविका के लिए व्यक्तिगत या सामुदायिक कब्जे में वन भूमि में रहने और रखने के अधिकार को मान्यता और स्वीकृति देता है। एफआरए, 2006 के प्रपत्र ख और प्रपत्र ग मिलकर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दावे का निर्माण करते हैं। 2012 के संशोधन के बाद, प्रपत्र ख और ग को एक साथ भरा जाना चाहिए, और दोनों के लिए सभी साक्ष्य और अनुलग्नक समान होते हैं।

क्रम संख्या	व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा सृजन और प्रस्तुतीकरण	प्रमुख विशेषताऐं
1	एफआरसी का गठन या पुनर्गठन	एफआरसी के गठन या पुनर्गठन के लिए पहली ग्राम सभा का आयोजन करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। एफआरसी के गठन के बाद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होगी।
2	आईएफआर, सीएफआर और सीएफआरआर दावा तैयार करना	ग्राम सभा की ओर से, एफआरसी दावा भरने की प्रक्रिया शुरू करेगा और आईएफआर (प्रपत्र क), सीएफआर (प्रपत्र ख) और सीएफआरआर (प्रपत्र ग) के लिए दावे तैयार करेगा। ग्राम सभा व्यक्तिगत दावेदारों की पहचान करेगी और अनुमानित व्यक्तिगत दावा क्षेत्र की गणना करेगी।
3	पड़ोसी गांव के साथ सीमांकन के लिए संयुक्त बैठक	एफआरसी पारंपरिक अधिकारों, एक-दूसरे के लिए सीमाओं को हल करने और अन्य गांवों के साथ साझा वन संसाधनों की पहचान करने के लिए पड़ोसी गांवों के साथ बैठक आयोजित करेगा और ग्राम सभा को निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
4	वन अधिकार समिति (एफआरसी) द्वारा भौतिक सत्यापन	एफआरसी संबंधित वन और राजस्व विभाग के अधिकारियों को भौतिक सत्यापन की तारीख और समय सूचित करता है। दावों और साक्ष्यों के सत्यापन के दौरान अधिकारी साइट पर मौजूद रहेंगे। वे अपने पदनाम, तारीख और टिप्पणियों के साथ कार्यवाही पर हस्ताक्षर करेंगे। यदि अधिकारी तारीख पर अनुपस्थित हैं, तो एफआरसी सत्यापन के साथ आगे बढ़ सकता है

		और अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत कर सकता है, जो उचित विचार-विमर्श के बाद दावे को एसडीएलसी को अग्रेषित कर सकती है। यदि वन एवं राजस्व विभाग. अधिकारी सत्यापन के दौरान उपस्थित नहीं होने के लिए एसडीएलसी के पास मामला बनाते हैं तो एसडीएलसी दावा अभिलेख ग्राम सभा को वापस कर सकता है । तत पश्चात एफआरसी वन और राजस्व विभाग को दूसरी सूचना भेजेगी । यदि अधिकारी इस बैठक में भी उपस्थित नहीं होते हैं तो ग्राम सभा का निर्णय अंतिम होगा।
5	ग्राम सभा की अनुशंसा बैठक	ग्राम सभा एक प्रस्ताव पारित करेगी जिसमें प्रपत्र क , ख और ग को मिलाकर तैयार किए गए अंतिम दावे को अनुमंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) को जमा करना शामिल है। ग्राम सभा कुल सीएफआर क्षेत्र से अनुमानित आईएफआर क्षेत्र को हटा देगी और प्रस्ताव में यह भी शामिल करेगी कि यदि किसी पात्र आईएफआर दावेदार ने मौसमी प्रवास, जानकारी की कमी या किसी अन्य कारण से निर्धारित समयावधि में अपना बोनाफाइड दावा प्रस्तुत नहीं किया है, तो वे बाद में ग्राम सभा में अपना दावा दर्ज कर सकेंगे।

प्रक्रिया संख्या A01:

सीएफआर और सीएफआरआर अधिकार दावों के प्रौद्योगिकी सक्षम संचालन का वर्णन करती है:

प्रक्रिया संख्या	A01
प्रक्रिया शीर्षक	झार एफआरए ऐप का संचालन

प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. सीएफआर और सीएफआरआर अधिकार दावा प्रक्रिया (ग्राम सभा, वन अधिकार समिति (एफआरसी), अनुमंडलस्तरीय समिति (एसडीएलसी), जिला स्तरीय समिति (डीएलसी), राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी)) के सभी संबंधित हितधारक प्रतिनिधियों को ऐप में पंजीकरण करना है और प्रोफ़ाइल बनानी है।
2. झार एफआरए ऐप निम्नलिखित प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए है:
    a. दावों की प्रगति ट्रैकिंग: - एसडीएलसी और डीएलसी में दावों के प्रसंस्करण की जानकारी, लंबित दावों की स्थिति, कारणों के साथ संशोधित या अस्वीकृत दावों की स्थिति।
    b. मानचित्र दस्तावेज़, अधिकारों का रिकॉर्ड और मतदाता सूची की उपलब्धता।
    c. प्रक्रिया संख्या A01 के चरण 1 में सूचीबद्ध संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों को अलर्ट भेजना और नोटिस प्रसारित करना।
3. प्रक्रिया संख्या 2, 3 और 4 में ऐप के उपयोग के माध्यम से प्रमुख तकनीकी हस्तक्षेपों का विस्तार से वर्णन किया गया है।

चरण 1: एफआरसी का गठन या पुनर्गठन

क्रम संख्या	स्पष्टीकरण	नमूना (प्रपत्र, कार्यवाही आदि)
1	एफआरसी के गठन हेतु ग्राम सभा बुलाने के लिए ग्राम पंचायत के मुखिया (निर्वाचित प्रतिनिधि) द्वारा सूचना। (केवल पहली बार गठन के लिए | इसके उपरांत ग्राम सभा या वन अधिकार समिति पुनर्गठन का निर्णय ले सकती है |)	ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस का प्रारूप (*अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप*)
2	उपरोक्त आहूत ग्राम सभा में एफआरसी का गठन किया जाता है। एफआरसी सदस्यों की सूची सहित ग्राम सभा के प्रस्ताव की प्रति	

	आधिकारिक रिकॉर्ड के लिए एसडीएलसी के साथ-साथ पंचायत को भी साझा की जाती है। एफआरए, 2006 के अनुसार एफआरसी की सदस्य संरचना इस प्रकार है: न्यूनतम सदस्य: 10 अधिकतम सदस्य: 15 2/3 एसटी होनी चाहिए, और 1/3 महिलाएं होनी चाहिए	
3	नवगठित/पुनर्गठित एफआरसी उचित सूचना द्वारा एसडीएलसी को सूचित करता है। **** झार एफआरए ऐप का उपयोग एसडीएलसी और डीएलसी को एफआरसी के गठन या पुनर्गठन के विवरण को सूचित करने के लिए किया जाता है: [प्रक्रिया संख्या ए02 में वर्णित]**	एसडीएलसी को एफआरसी गठन विवरण जमा करने का प्रारूप (*एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप*)

प्रक्रिया संख्या	A02
प्रक्रिया शीर्षक	ग्राम पंचायत द्वारा वन अधिकार समिति (एफआरसी) के गठन पर अनुमंडल स्तरीय समिति (एसडीएलसी) को अनिवार्य रिपोर्टिंग

प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. ग्राम पंचायत को पहली ग्राम सभा की बैठक के बाद एफआरसी के गठन की रिपोर्ट एसडीएलसी को देनी होगी।
2. प्रक्रिया A02 के चरण 1 में उल्लिखित रिपोर्ट को ऐप के माध्यम से सुगम बनाया जाना है और इसे मान्य रिपोर्टिंग के रूप में माना जा सकता है।

चरण 2: सीएफआर और सीएफआरआर दावा तैयार करना

क्रम संख्या	स्पष्टीकरण	(प्रपत्र, कार्यवाही आदि)
1	पहली ग्राम सभा की बैठक में, एफआरसी दावा सृजन के लिए प्रस्ताव पारित करेगा और ग्राम सभा के नियम 12(4) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करके, मतदाता सूची, किसी भी मौजूदा आरओआर (खतियान भाग II/रजिस्टर) के लिए एसडीएलसी को एक लिखित मांग अग्रेषित करेगा। II/ग्राम नोट), वन सीमा मानचित्र, राजस्व ग्राम मानचित्र, कोई अन्य भूमि रिकॉर्ड। **** एफआरसी द्वारा किये गए दस्तावेजों की मांग के बारे में एसडीएलसी और डीएलसी को सूचित करने के लिए झार एफ आर ए ऐप का उपयोग किया जाना चाहिए: [प्रक्रिया संख्या ए03 में वर्णित]**	दस्तावेजों की मांग के लिए एसडीएलसी को पत्र का प्रारूप (*अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप*)
2	योग्य दावेदारों की सूची {जो व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, परिवार या समुदाय हो सकते हैं, जो अधिकारों की मान्यता और उसके दावे के लिए आवेदन करते हैं (नियम 2 (1) ग) और II के लिए : जिन्होंने 13.12.2005 की तारीख से पहले गाँव में निवास किया है और OTFD के लिए : 3 पीढ़ियों (13.12.2005 से पहले 75 वर्ष) के लिए] का निर्धारण मतदाता सूची या पंचायत रिकॉर्ड या किसी अन्य सरकारी रिकॉर्ड की सहायता से किया जा सकता है।	दावेदारों की सूची की तालिका का प्रारूप (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप)
3	दावा प्रक्रिया के भाग के रूप में, एफआरसी द्वारा निम्नलिखित सूचियाँ तैयार की जानी हैं: जैसा कि उल्लेख किया गया है और दावे में दर्ज किया गया है, प्रामाणिक आजीविका आवश्यकताओं के लिए स्थानीय वन नामों के साथ पारंपरिक अधिकारों की सूची। पारंपरिक सीमाओं के भीतर सभी वन और प्राकृतिक संसाधन निकायों को सूचीबद्ध करना जो समुदाय की सभी वास्तविक आजीविका आवश्यकताओं की आपूर्ति करते हैं (उदाहरण के लिए चरागाह, उपभोग और बिक्री के लिए मौसमी वन उपज, जलाऊ लकड़ी और	सूचियों का नमूना प्रारूप (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप)

	छोटी लकड़ी, जल निकाय, नदी धाराएं, रेत, निर्माण सामग्री, जैसे) पत्थर आदि) अन्य सभी पारंपरिक वन अधिकारों जैसे पवित्र उपवन, पारंपरिक पथ, कब्रिस्तान/श्मशान आदि की सूची बनाना। जैव विविधता, बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान, यदि कोई हो, अधिकार की सूची बनाना।	
4	वन अधिकार समिति एस डी एल सी द्वारा उपलब्ध कराए गए नक्शों को संशोधन/सत्यापन करेगा। यदि एस डी एल सी द्वारा उचित समय में (इस एसओपी के उद्देश्य से वन अधिकार समिति द्वारा लिखित मांग की तारीख से 30 दिनों तक की समय सीमा का निर्धारण किया जा सकता है) नक्शा प्रदान नहीं किया जाता है, तो वन अधिकार समिति को उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दावा किए गए क्षेत्र का हस्तनिर्मित नक्शा या डिजिटल नक्शे तैयार करने का अधिकार है ।	हाथ से बनाए गए मानचित्रों का प्रारूप प्रौद्योगिकी आधारित मानचित्रों का प्रारूप। ****प्रक्रिया संख्या A04 में जीआईएस तकनीक का उपयोग करके निर्मित मानचित्र के प्रारूप का वर्णन किया गया है।**
5	साक्ष्य - नियम 13(1) और (2) के अनुसार - कोई भी दो साक्ष्य एफआरसी द्वारा तैयार/एकत्रित किये जायेंगे। जैसा कि यहां सुझाया गया है: (I) पहला साक्ष्य: व्यक्तिगत दावा के लिए दावेदार के अलावा अपने ग्राम सभा के बुजुर्गों का लिखित बयान और सामुदायिक दावा के लिए पड़ोसी गाँव के बुजुर्गों का बयान है (II) 1959 में वन जांच समिति की रिपोर्ट की एक प्रति या एफआरसी की मांग के अनुसार एसडीएलसी द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के किसी भी पुराने रिकॉर्ड (आरओआर) की एक प्रति।	पड़ोसी गांव के बुजुर्गों के बयान का प्रारूप (*अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप*)

प्रक्रिया संख्या	A03
प्रक्रिया शीर्षक	वन और राजस्व मानचित्रों और मतदाता सूची के लिए एफआरसी द्वारा एसडीएलसी से मांग

प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. वन और राजस्व मानचित्र और मतदाता सूची प्रदान करने के लिए झार एफ आर ए ऐप के माध्यम से एफआरसी द्वारा एसडीएलसी से मांग की जानी चाहिए।
2. मांग की पावती एसडीएलसी द्वारा झार एफ आर ए ऐप के माध्यम से की जानी है।
3. एफआरसी को झार एफ आर ए ऐप में एसडीएलसी से पावती की रसीद अपडेट करनी चाहिए।
4. अद्यतन स्थिति झार एफ आर ए ऐप के माध्यम से एसडीएलसी को स्पष्ट हो।
5. चरण 1, 2, 3 और 4 में सूचीबद्ध और झार एफआरए ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन को एसडीएलसी और एफआरसी के कर्तव्य की वैध पूर्ति के रूप में माना जाएगा।

प्रक्रिया संख्या	A04
प्रक्रिया शीर्षक	झार एफ आर ए ऐप के माध्यम से उपलब्ध पारंपरिक सीमा मानचित्र के लिए मानक टेम्पलेट

1. चित्र 1 और चित्र 2 में दिखाए गए पारंपरिक सीमा मानचित्र के लिए मानक टेम्पलेट को संबंधित अधिकारियों (राजस्व विभाग और वन विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा आधिकारिक तौर पर वैध और स्वीकार्य माना जाए।

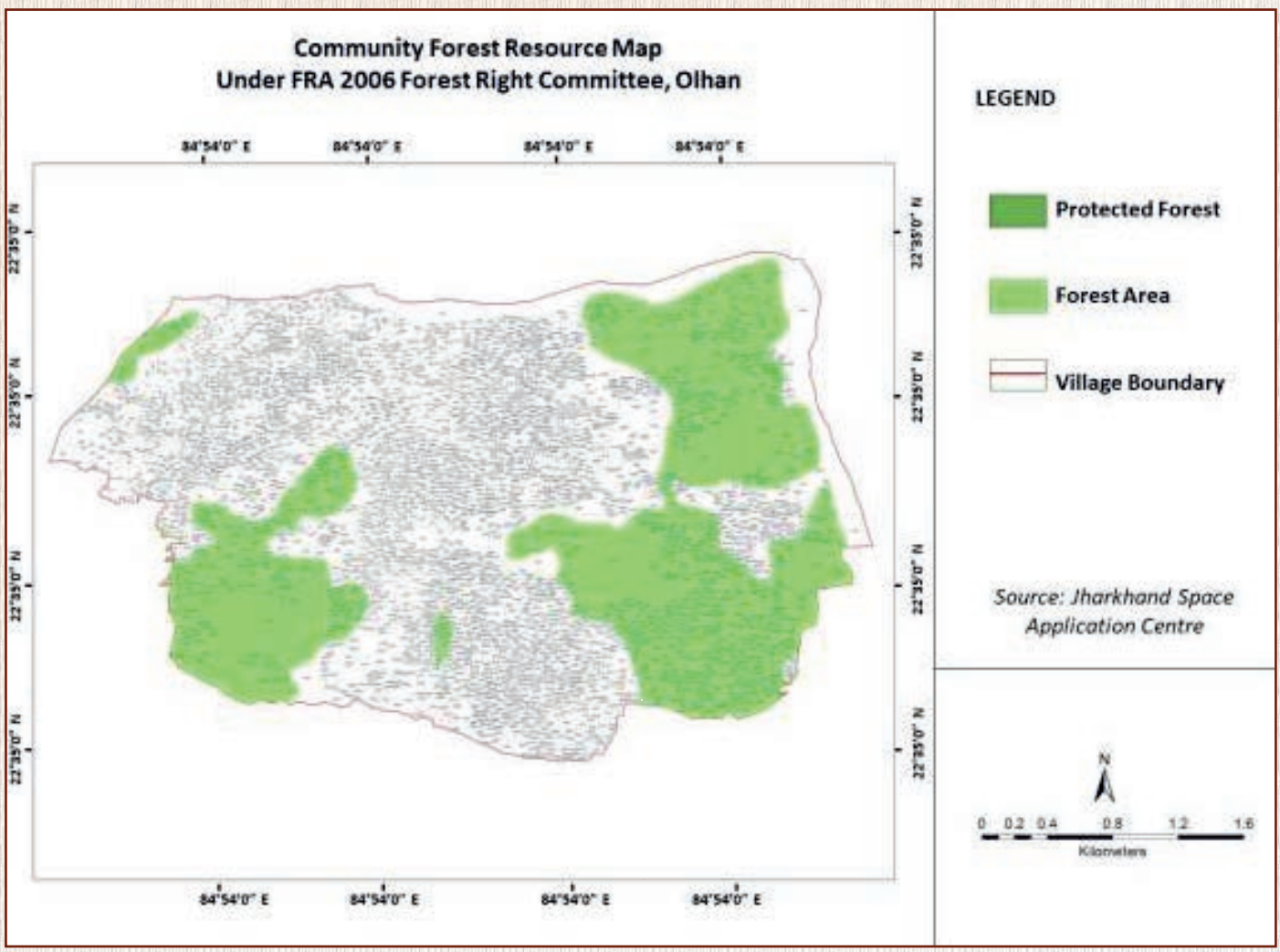

चित्र 1: मानक मानचित्र टेम्पलेट

चित्र 2: मानचित्र टेम्पलेट के विभिन्न तत्वों का विवरण

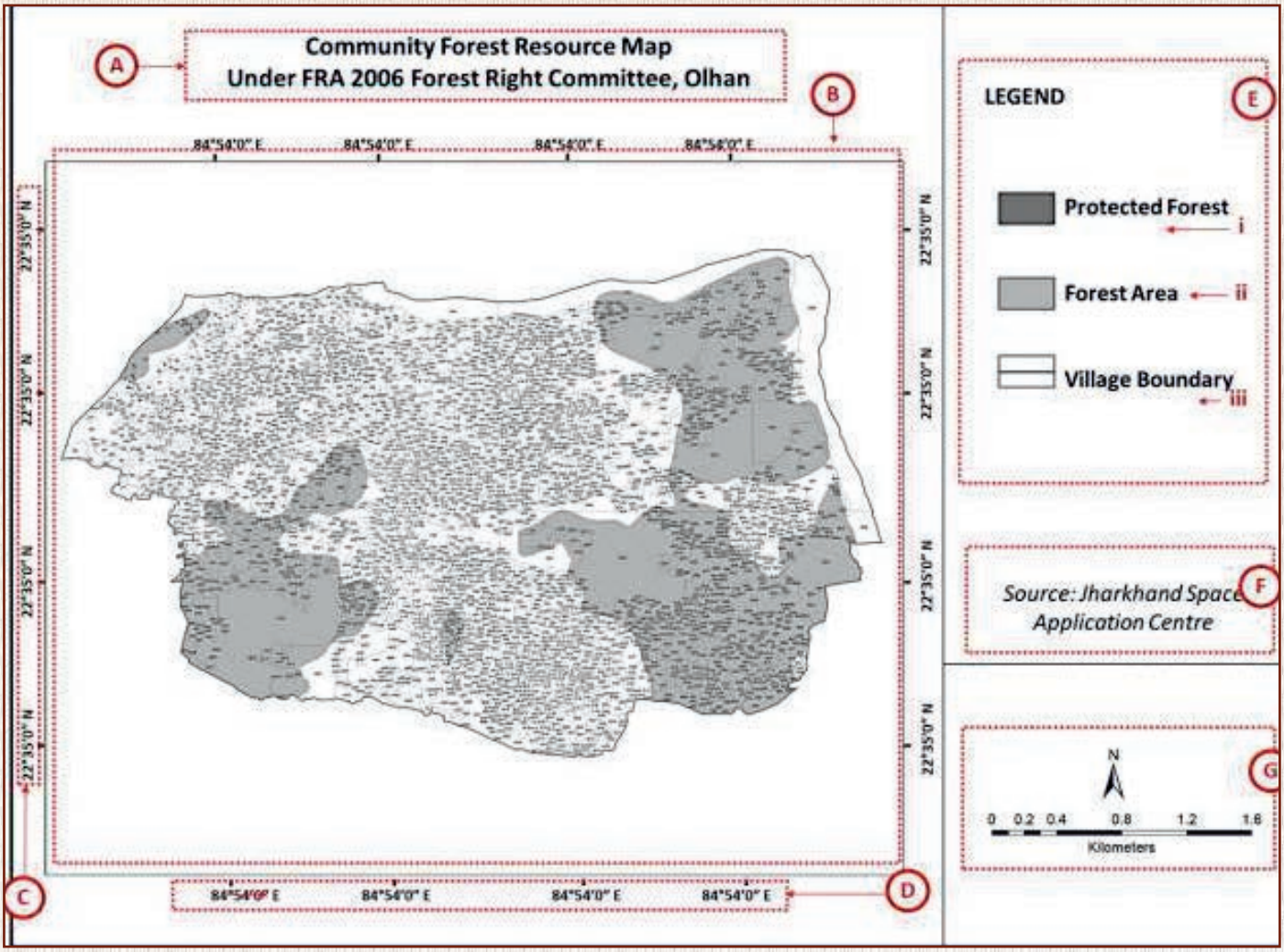

2. चित्र 1 और चित्र 2 में दिखाए गए टेम्पलेट का उपयोग संबंधित अधिकारियों (राजस्व विभाग और वन विभाग) के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ एफआरसी द्वारा दावों के भौतिक सत्यापन के उद्देश्य से किया जाना है।

3. चित्र 1 और चित्र 2 में दिखाए गए मानचित्र फ्रेम के निर्माण के लिए उपयोग किया गया डेटा इस प्रकार है:

   a. भारतीय सर्वेक्षण विभाग: प्रशासनिक सीमा
   b. आरक्षित वन सीमा: झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (JSAC)
   c. वन सीमा: झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (JSAC)
   d. सीएफआर सीमा: एफआरसी इस मानचित्र को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। एफआरसी सदस्य को पारंपरिक वन सीमा बनाने में सक्षम बनाने के लिए मोबाइल आधारित जीपीएस डेटा लॉगर एप्लिकेशन के उपयोग में प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए ।

4. चित्र 2 में दिखाए गए टेम्पलेट में विभिन्न भागों का अर्थ नीचे वर्णित है:

A संबंधित गांव के सामुदायिक वन संसाधन मानचित्र का शीर्षक, उस गांव के नाम का उल्लेख करते हुए, टेम्पलेट के [A] भाग में प्रस्तुत किया गया है।

B. [B] भाग गांव का मानचित्र फ्रेम प्रस्तुत करता है।

C. मानचित्र फ्रेम का अक्षांश विवरण टेम्पलेट के [C] भाग में दर्शाया गया है।

D. टेम्पलेट के [D] भाग में मानचित्र फ्रेम का देशांतर विवरण दर्शाया गया है।

E [E] खंड में निम्नलिखित स्तरों के लिए प्रतीक के विवरण के साथ मानचित्र की किंवदंती इंगित की गई है:

I. संरक्षित वन क्षेत्र

II. वन क्षेत्र

III. गांव की प्रशासनिक सीमा

F. आधार मानचित्र के लिए ग्राम मानचित्र फ्रेम का स्रोत [F] भाग में उल्लिखित है जो झारखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (जेएसएसी) को दर्शाता है।

G मानचित्र फ्रेम का पैमाना और उत्तर दिशा इस मानचित्र टेम्प्लेट के [G] हिस्से में दर्शाया गया है। पैमाना मानचित्र पर दूरी और जमीन पर उस संबंधित दूरी के ख च संबंध का पता लगाने में मदद करेगा। इसी तरह, इस [G] में उत्तर दिशा का तीर भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की दिशा को दर्शाता है जो पाठकों को संदर्भ बिंदु समझने में मदद करेगा।

चरण 3: सीमांकन (पड़ोसी गाँव)

उक्त तारीख के पत्र/सूचना के अनुसार पड़ोसी गांव मिलकर पारंपरिक वन की सीमा, साझा वन (यदि कोई हो) को चर्चा करके और अंतिम रूप देने के लिए बैठक करेंगे । कार्यवाही और निर्णयों को FRA, 2006 के नियम 11(1)(b) के अनुसार रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए ।

क्रम संख्या	स्पष्टीकरण	नमूना (प्रपत्र, कार्यवाही आदि)
1	पड़ोसी गाँवों की ग्राम सभाएँ संयुक्त बैठकें आयोजित करती हैं ताकि चर्चा की जा सके और साझा वन (कई ग्राम सभाओं द्वारा उपयोग की गई वन की इकाई) या पारंपरिक सीमा और दावा किए गए वन क्षेत्र के अधिकारों को अंतिम रूप दिया जा सके।	नोटिस का प्रारूप सीमांकन की कार्यवाही का प्रारूप *(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप)*

चरण 4 : भौतिक सत्यापन

एफआरए, 2006 के नियम 12(1)(क) के अनुसार, एफआरसी भौतिक सत्यापन के लिए ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए राजस्व और वन विभाग को नोटिस जारी करेगा।

क्रम संख्या	स्पष्टीकरण	नमूना (प्रपत्र, कार्यवाही आदि)
1	भौतिक सत्यापन के लिए एफआरसी राजस्व एवं वन विभाग को नोटिस जारी करेगा। यदि अधिकारी तारीख पर अनुपस्थित हैं, तो एफआरसी सत्यापन के साथ आगे बढ़ सकता है और अपनी रिपोर्ट ग्राम सभा को प्रस्तुत कर सकता है, जो उचित विचार-विमर्श के बाद दावे को एसडीएलसी को अग्रेषित कर सकती है। यदि वन एवं राजस्व विभाग. अधिकारी सत्यापन के दौरान उपस्थित नहीं होने के लिए एसडीएलसी के पास मामला बनाते हैं तो एसडीएलसी दावा अभिलेख ग्राम सभा को वापस कर सकता है | तत पश्चात एफआरसी वन और राजस्व विभाग को दूसरी सूचना भेजेगी । यदि अधिकारी इस बैठक में भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो भौतिक सत्यापन के लिए ग्राम सभा का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। **राजस्व और वन से नियुक्त अधिकारियों को कार्यवाही और मानचित्रों पर अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ हस्ताक्षर करना होगा।** **ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण:** यह प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा दावा किए गए वन क्षेत्र के स्थान के अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए है। **** झार एफआरए ऐप का उपयोग भौतिक सत्यापन के लिए ग्राम सभा द्वारा जारी नोटिस के संबंध में एसडीएलसी और डीएलसी को सूचित करने के लिए किया जाना चाहिए: [प्रक्रिया संख्या A05 में वर्णित]**	नोटिस का प्रारूप भौतिक सत्यापन की कार्यवाही का प्रारूप *(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप)*

प्रक्रिया संख्या	A05
प्रक्रिया शीर्षक	दावों की सत्यता का पता लगाने के लिए ग्राम सभा के प्रस्तावों और मानचित्रों की जांच करने के लिए ग्राम सभा द्वारा एसडीएलसी को नोटिस

प्रक्रिया इस प्रकार है:

1. दावों और मानचित्रों के भौतिक सत्यापन के लिए एफआरसी द्वारा संबंधित अधिकारियों (राजस्व विभाग और वन विभाग) के प्रतिनिधियों को पहली अधिसूचना झार एफआरए ऐप के माध्यम से की जानी है।
2. संबंधित अधिकारियों (राजस्व विभाग और वन विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की पावती झार एफआरए ऐप के माध्यम से की जानी है।
3. संबंधित अधिकारियों (राजस्व विभाग और वन विभाग) के प्रतिनिधियों द्वारा पावती न मिलने या पहले नोटिस में उल्लिखित अधिसूचित तिथि पर उपस्थित न होने की स्थिति में, एफआरसी द्वारा दूसरी अधिसूचना झार एफआरए के माध्यम से की जानी है।
4. पहली और दूसरी अधिसूचना के बीच का समय अंतराल एफआरए, 2006 के प्रावधानों के अनुपालन में होना चाहिए।

चरण 5: दावा स्वीकृति और एसडीएलसी को प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा बैठक

क्रम संख्या	स्पष्टीकरण	नमूना (प्रपत्र, कार्यवाही आदि)
1	सीमांकन के लिए संयुक्त बैठक और भौतिक सत्यापन सहित दावा दाखिल करने के पूरा होने के बाद, एफआरसी भौतिक सत्यापन के दौरान राजस्व या वन विभाग द्वारा दिये गए दावों और टिप्पणियों, यदि कोई हो, पर चर्चा करने के लिए ग्राम सभा की बैठक आयोजित करेगा । ग्राम सभा टिप्पणियों को (उचितीकरण सहित) स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। ग्राम सभा तैयार दावों पर सहमति के उपरांत एसडीएलसी को दावे प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव पारित करेगी।	अनुशंसा ग्राम सभा नोटिस का प्रारूप *(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप)* एसडीएलसी को सीएफआर और सीएफआरआर दावे प्रस्तुत करने के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही का प्रारूप। *(अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अधिसूचित मानक प्रारूप)*

एफआरए, 2006 के अनुसार सीएफआर मान्यता में प्रशासनिक भाग/प्रक्रिया

एसडीएलसी की भूमिकाएं और जिम्मेदारी:

भूमिका	प्रासंगिक नियम	स्पष्टीकरण
दावा डीएलसी की अनुशंसा के लिए एसडीएलसी को प्रस्तुत किया जाना	नियम 6	• एसडीएलसी यह सुनिश्चित करता है कि उसे प्रस्तुत दावों की रसीद/स्वीकृति संबंधित ग्राम सभा को प्रदान करे । • एसडीएलसी के पास ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किसी भी दावे को बदलने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है। • यदि दावे अधूरे पाए जाते हैं या यदि यह महसूस किया जाता है कि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है, तो एसडीएलसी इसे पुनर्विचार/आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित ग्राम सभा को वापस भेज देगा।
एसडीएलसी दावों के साथ प्रस्तुत समाधान, साक्ष्य और मानचित्रों की जांच किया जाना	नियम 6(ङ) और नियम 12 क (6)	• दावों की जांच करना। • प्रस्तावित वन अधिकारों का प्रारूप रिकार्ड तैयार किया जाना। • एसडीएलसी ग्राम सभा के टिप्पणियों और राजस्व या वन विभाग की टिप्पणियों, यदि कोई हो, के आधार पर डीएलसी को प्रस्तावित वन अधिकारों के मसौदा रिकॉर्ड के साथ दावों की सिफारिश करेगा।
एसडीएलसी दावों को पुनः सत्यापन के लिए ग्राम सभा को वापस भेज सकता है	नियम 6	• यदि एसडीएलसी दावा किए गए क्षेत्र या दावे के समर्थन में प्रदान किए गए किसी भी सबूत की वैधता/प्रासंगिकता से संतुष्ट नहीं है या दावे के किसी भी पहलू पर प्रश्न चिह्न है, तो यह इसे ग्राम सभा को वापस भेज देगा; एसडीएलसी किसी भी दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता।
एसडीएलसी अपनी टिप्पणियों/टिप्पणियों के साथ डीएलसी को अनुशंसा किया जाना	नियम 12(क)(10)(11)	• आम तौर पर एसडीएलसी ग्राम सभा द्वारा प्रस्तुत दावे को स्वीकार करता है और अनुमोदन के लिए डीएलसी को सिफारिश करता है। • असाधारण स्थितियों में, यदि एसडीएलसी दावा किए गए क्षेत्र में कटौती की सिफारिश करता है या दावों को मंजूरी नहीं देता है, तो वह इसे विस्तृत लिखित स्पष्टीकरण के साथ ग्राम सभा को वापस भेज देगा। • एसडीएलसी किसी भी दावे को न तो स्वीकृत कर सकता है, न अस्वीकार कर सकता है और न ही उसमें परिवर्तन कर सकता है; वह केवल डीएलसी को इसकी अनुशंसा कर सकता है। अंतिम निर्णय डीएलसी पर निर्भर है।

डीएलसी की भूमिकाएं और जिम्मेदारी:

भूमिका	प्रासंगिक नियम	स्पष्टीकरण
यदि डीएलसी किसी भी तरह से दावे को बदलने/परिवर्तित करने या दावा किए गए क्षेत्र को कम करने का निर्णय लेता है, तो उसे ग्राम सभा को इसके कारण और स्पष्टीकरण देना होगा।	नियम 12(क)(10)(11)	• आम तौर पर डीएलसी एसडीएलसी की अनुशंसा के अनुसार दावे को मंजूरी देता है। • यदि डीएलसी दावे के किसी भी पहलू को बदलने/बदलने का निर्णय लेता है, तो उसे ग्राम सभा को विस्तार से और लिखित रूप में कारण बताना होगा। • कोई भी दावा तकनीकी या प्रक्रियात्मक खामियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता। • दावा दायर करने के दौरान डीएलसी अपने पास उपलब्ध नए साक्ष्य और ग्राम सभा के पास उन साक्ष्यों की उपलब्धता नहीं होने पर किसी भी दावे को अस्वीकार या परिवर्तित नहीं कर सकता है; इसके बाद दावे को नए साक्ष्य के साथ पुनर्विचार के लिए ग्राम सभा को वापस भेज दिया जाएगा। • आम तौर पर, डीएलसी का निर्णय अंतिम होता है।
ग्राम सभा को स्वामित्व जारी करना	नियम 8(ज)	• स्वामित्व 2012 के संशोधित संशोधनों में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए।
राजस्व एवं वन विभाग के अभिलेखों में अधिकारों का अभिलेखन	नियम 8(ङ), (च), & नियम 12 (क) 9	• राजस्व और वन विभाग दावे वाले क्षेत्र के लिए नक्शे तैयार करेंगे या दावे के साथ दिए गए नक्शे को स्वीकार करेंगे • डीएलसी यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकारों के अभिलेख में एक विशेष कॉलम होगा जहां सीएफआर और सीएफआरआर अधिकारों के ऐसे रिकॉर्ड दर्ज किए जाएंगे।

संदर्भ

1. *Forest rights Act Portal*. Ministry of Tribal Affairs, GoI. Available at: https://forestrights.nic.in/ (Accessed: February 5, 2023).

2. MoTA *Forest rights act training manual for government functionaries ...- tribal*, *Ministry of Tribal Affairs, GoI*Available at: https://tribal.nic.in/downloads/FRA/Module%20I.pd (Accessed: February 4, 2023).

व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप
भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय

प्रारूप "क"

वन भूमि के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम, 2008 के नियम 11 (1) (क) देखें

1. दावेदार (रों) का/के नाम :

2. पति/पत्नी का नाम :

3. पिता/माता का नाम :

4. पता :

5. ग्राम :

6. ग्राम पंचायत :

7. प्रखंड/अंचल :

8. जिला :

9. (क) अनुसूचित जनजातिः हां/नहीं
(प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

(ख) अन्य परंपरागत वन निवासी : हां/नहीं
(यदि पति/पत्नी अनुसूचित जनजाति से है तो प्रमाणपत्र की अधिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)

10. परिवार के अन्य सदस्यों का नाम और आयु :
(बालकों व वयस्क आश्रितों सहित)

भूमि पर दावे का स्वरूप :

1. अधिभोग की गई भूमि का विस्तार :

क) निवास के लिए

ख) स्वयं खेती के लिए, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1)(क) देखें)

2. विवादित भूमि, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1)(क) देखें)

3. पट्टे/पट्टे अनुदान, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (छ) देखें)

4. यथावत् पुनर्वास के लिए भूमि या अनुकल्पिक भूमि यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ङ) देखें)

5. भूमि, जहां से भूमि प्रतिकर दिए बिना विस्थापित किए गए है :
(अधिनियम की धारा (4)(1)(8) देखें)

6. वन ग्रामों में भूमि का विस्तार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (ज) देखें)

7. अन्य कोई पारंपरिक अधिकार, यदि कोई हो :
(अधिनियम की धारा 3(1) (झ) देखें)

8. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

9. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप ख

सामुदायिक अधिकारों के लिए दावा प्रारूप
अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
[नियम, 2008 का नियम11 (1) (क) और 11(4) देखें)]

1. दावेदार (रों) का/के नामः
   क. एफ.डी.एस.टी (अनुसूचित जनजाति वन निवासी) समुदायः हां/नहीं
   ख. ओ.टी.एफ.डी (अन्य परंपरागत वन निवासी) समुदायः हां/नहीं

2. ग्राम :

3. ग्राम पंचायत :

4. प्रखंड :

5. जिला :

प्रयोग किए गए सामुदायिक अधिकारों का स्वरूप :

1. सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार, यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ख) देखें)

2. गौण वन उत्पादों पर अधिकार ,यदि कोई हो :
   (अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) देखें)

3. सामुदायिक अधिकार :–

(क) उपयोग या पात्रता (मछली, जलाशय), यदि कोई हो :

(ख) चरने हेतु, यदि कोई हो :

(ग) पारंपरिक संसाधनों तक यायावरों और पशुपालकों की पहुंच, यदि कोई हों :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (छ) देखें)

4. पीटीजी (अल्पसंख्यक आदिम जनजाति) व कृषि पूर्व समुदायों के लिए प्राकृतिक वास और पूर्ववास की सामुदायिक अवधियां, यदि कोई हों :
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ड) देखें)

5. जैवविधिता तक बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच का अधिकार, यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ट) देखें)

6. अन्य पारंपरिक अधिकार यदि कोई हो:
(अधिनियम की धारा 3 (1) (ठ) देखें)

7. समर्थन में साक्ष्य :
(नियम 13 देखें)

8. अन्य कोई सूचना :

दावेदार (रों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

प्रारूप ग

सामुदायिक वन संसाधन के अधिकारों के लिए दावा प्रारूप

[अधिनियम की धारा 3 (1) (झ) और नियम 11(1) और (4क) देखिए]

1 ग्राम /ग्राम सभा :

2 ग्राम पंचायत :

3 प्रखंड :

4 जिला :

5 ग्राम सभा के सदस्यों के नाम (प्रत्येक सदस्य के सामने उपदर्शित अनुसूचित जनजाति/अन्य परपंरागत वन निवासी प्रास्थिति सहित अलग एक प्रपत्र के रूप में संलग्न करें)

दावा करने के लिए जनजातियों/अन्य परंपरागत वन निवासियों का होना पर्याप्त है।

हम, इस ग्रामसभा के अधो हस्ताक्षरित निवासी इसके द्वारा यह संकल्प करते हैं कि नीचे और संलग्न मानचित्र में निर्दिष्ट क्षेत्र, जिसको हमारा ऐसा सामुदायिक वन संसाधन सम्मिलित है, जिस पर हम धारा 3 (1) (झ) के अधीन अपने अधिकारों की मान्यता का दावा कर रहे हैं।

(अवस्थित ग्राम की पारंपरिक या रूढ़िजन्य सीमाओं के भीतर भूमि चिन्ह या चारागाही समुदायों की दशा में उस स्थलाकृति का मौसमी उपयोग, जिसके लिए समुदाय पारंपरिक पहुंच रखता था और उन्हें वे संधार्य उपयोग के लिए पारंपरिक रूप से संरक्षित, पुरूजीवित, परिरक्षित और प्रबंधित करते रहे हैं, को दर्शाते हुए सामुदायिक वन संसाधन का मानचित्र संलग्न करें। कृपया ध्यान दें कि इसके शासकीय सीमाओं के अनुरूप होने की आवश्यकता नहीं है)

6 खसरा/कपार्टमेंट संख्या (संख्याएं) यदि कोई हो और यदि ज्ञात हो :

7 सीमा से लगते हुए ग्राम :

i)

ii)

iii)

iv)

(इसमें किन्हीं अन्य ग्रामों के साथ संसाधनों और उत्तरदायित्वों का हिस्सा बटाने के संबंध में जानकारी भी सम्मिलित की जा सकेगी)

8. समर्थन में साक्ष्य की सूची (कृपया नियम 13 देखिये) :

दावेदार (दावेदारों) के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के लिए उपयुक्त प्रारूप

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

झारखण्ड सरकार

व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेख
(नियम 11. 2. 2)

कार्यालय, वन अधिकार समिति.....पंचायत.....

प्रखण्ड ..... जिला.....

संख्या..... वर्ष 2023–2024

अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परंपरागत वन निवासी (वनों पर अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006
धारा 3. 1 (क) के अन्तर्गत वन भूमि की पट्टा के लिए दावा

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	कार्यवाही	आदेशों पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी
	आवेदक / आवेदिका श्री / श्रीमती..... पिता / पति श्री.....ग्राम..... थाना.....प्रखण्ड.....जिला..... दिनांक .....को निम्नलिखित विवरण के वन भूमि का पट्टा अपने नाम से निर्गत करने हेतु, व्यक्तिगत अधिकार दावा प्रारूप के साथ निम्नलिखित साक्ष्यों को संलग्न करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया है। **जमीन का विवरण** **मौजा**..... **थाना न**..... **खाता न.** **प्लाट न.** **रकबा –** **जमीन का किस्म–**	

साक्ष्य –

1. नियम 13.1ग के अंतर्गत
2. नियम 13.1झ के अंतर्गत
3. नियम 13.1ख के अंतर्गत
4. .....

वन क्षेत्र पदाधिकारी.....और अंचल पदाधिकारी.....को लिखित सूचना देकर वन अधिकार समिति दावा पत्र और साक्ष्य की सत्यापन के लिए दिनांक..... को स्थल निरीक्षण करें। आम इश्तहार निर्गत करें।

....

अध्यक्ष सचिव वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति

अभिलेख उपस्थापित किया गया। वन अधिकार समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि वन विभग /राजस्व विभाग के वन क्षेत्र में पड़ता है।

मौजा..... थाना न.....

खाता न.	प्लॉट न	रकबा	जमीन का किस्म

आवेदक अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी है। आवेदक का उपरोक्त भूमि पर दिसंबर 13, 2005 के पहले से कब्जा है/नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित साक्ष्य स्वीकार्य है/ नहीं है।

1. नियम 13.1ग के अंतर्गत
2. नियम 13.1झ के अंतर्गत
3. नियम 13.1ख के अंतर्गत
4. .....

इस आधार पर आवेदक का दावा अनुशंसित/अस्वीकृत किया जाता है। अभिलेख ग्राम सभा के पास स्वीकृति हेतु भेजा जाता है।

....

अध्यक्ष सचिव वन अधिकार समिति वन अधिकार समिति

दिनांक ..... को ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत..... प्रखण्ड..... ने श्री..... .....द्वारा दावित वन भूमि पर अधिकार को मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। अभिलेख अनुशंसा के साथ अनुमण्डल स्तरीय समिति के पास अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजने का निर्णय ली है।

.....

हस्ताक्षर –ग्राम प्रधान/सभापति

वन अधिकार समिति.....

ग्राम पंचायत..... प्रखण्ड..... जिला .....

पत्रांक...../.....दिनांक.....

प्रेषित – वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

अंचल पदाधिकारी.....

विषय दावों की भौतिक सत्यापन

संदर्भ – 2012 में संशोधित वन अधिकार नियम 2008 के धारा 12.(1) और 12क.(1)

महाशय,

आप को सूचित करना है कि वन अधिकार नियम 2008 के धारा 12 के अंतर्गत दिनांक .....को वन अधिकार समिति प्राप्त व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण करने जा रहे हैं। आप की उपस्थिति उस अवसर पर अनिवार्य है। आप से आग्रह है उस तारीख को वन अधिकार नियम 12क के उपधारा 1के अंतर्गत अपने से उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिथि को भेज कर हमें सहयोग देने और अपना प्रतिवेदन यदि कोई हो, लिख कर, अपना पदनाम और तारीख के साथ भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में और नक्शा में हस्ताक्षर करने की कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मोबाईल न0..... मोबाईल न0.....

वन अधिकार समिति

वन अधिकार नियम 2008 के धारा 12(1) के अंतर्गत भौतिक सत्यापन का प्रतिवेदन

आज दिनांक.....को जिला .....अंचल .....के अंचल निरीक्षक/ कर्मचारी/अमीन तथा वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल के साथ वन अधिकार समिति..... के द्वारा श्री/श्रीमति.....

पिता/पति.....ग्राम.....पंचायत .....

अंचल..... के दावित भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। जांच के क्रम में यह पाया गया कि दावित भूमि वन क्षेत्र /गैरमज़रूआ खाता में पड़ता है जिस का विवरण निम्नवत है।

मौजा..... थाना न.....

खाता न..... प्लॉट न.....

जमीन का किस्म..... कुल रकबा.....

- दावित भूमि पर 13 दिसंबर 2005 के पूर्व से 31 दिसंबर 2007 तक दावेदार का लगातार कब्जा है/नहीं है।
- दावेदार जीविकोपार्जन के लिए उपरोक्त वन भूमि पर निर्भर है/ नहीं है
- दावेदार द्वारा प्रस्तुत एक से अधिक साक्ष्य सही है/नहीं है।

.....	.....	.....	.....
सचिव व.अ.स	अध्यक्ष व.अ.स.	अंचल अधिकारी/ अंचल निरीक्षक	वन क्षेत्र पदाधिकारी/ वनपाल

वन अधिकार समिति .....ग्राम पंचपयत ..... प्रखण्ड.....जिला.....

वन अधिकार समिति का प्रतिवेदन (नियम 11.2.5 और 12.2)

(यदि समिति के कोई भी सदस्य दावेदार है तो वह अपना दावे के बारे में वन अधिकार समिति के कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे और इस प्रतिवेदन में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वन अधिकार नियम 2008 धारा 3 उपधारा 3 देखें)

आज दिनांक..... को वन अधिकार समिति..... का बैठक श्री.....के अध्यक्षता में दिन के..... बजे ..... पर संपन्न हुआ। इस बैठक में श्री .....पिता..... ..... ग्राम..... के वन भूमि पर दावे पर विचार किया गया। दिनांक..... के स्थल निरीक्षण और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह पाया गया कि :–

श्री.....पिता..... का

1. खाता न.....प्लॉट न..... में .....एकड़.....डिसिमिल भूमि पर कब्जा है।
2. उपरोक्त जमीन वन भूमि है।
3. उपरोक्त वन भूमि पर उस का कब्जा 13.12.2005 के पहले का है।
4. उपरोक्त वन भूमि पर वह स्वयं खेती करता है और जीविकोपार्जन के लिए निर्भर है।
5. जो नक्शा अमीन द्वारा बनाया गया है वह दावेदार के वास्तविक कब्जा को दर्शाता है।
6. स्थल निरीक्षण के समय वन और राजस्व विभाग के अधिकारी उपस्थित थे/नहीं थे।
7. स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अपना मन्तव्य दिया है/नहीं दिया है।

अतः वन अधिकार समिति श्री..... के दावे को सही और कानून सम्मत पाया और वन अधिकार नियम 2008 के धारा 11 उपधारा 2(5) के अंतर्गत ग्राम सभा के पास इस दावे को अग्रेत्तर कारवाई के लिए अनुशंसा करते है।

उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर

1.	2.	3.
4.	5.	6.
7.	8.	9.
10.	11.	12.
13.	14.	15.

ग्राम वन अधिकार समिति.....

पंचायत ..... प्रखंड ..... जिला .....

पत्रांक ..... दिनांक .....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .....

विषय : **व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को जमा करने के संबंध में।**

महाशय,

ग्राम ..... के ..... व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को, सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करके, ग्राम सभा के अनुशंसा के साथ आप के कार्यालय में जमा किया जा रहा है । इसे स्वीकार कर के पावती देने और सभी दस्तावेजों के जाँच के बाद स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय वन अधिकार समिति .... के पास भेजने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

ग्राम वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति

ग्राम..... अंचल..... जिला.....

पत्रांक..... दिनांक .....

प्रेशित – 1. अंचल पदाधिकारी .....

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी .....

विषय व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना।

संदर्भ – वन अधिकार नियम 12क (2)

महाशय,

दिनांक ..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति ..... की बैठक में ग्राम.....ग्राम पंचायत..... के .....(संख्या) वन अधिकार दावा अभिलेखों पर विचार किया गया था। उन दावा अभिलेखों के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों में वन अधिकार नियम 12क की उपधारा 1 के अंतर्गत वन और राजस्व विभाग के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दावा अभिलेखों को ग्राम सभा को लौटाया गया है।

अतः इस पत्र द्वरा आपको सादर सूचित करना है कि दिनांक .....दिन .....बजे दावों की पुनः भौतिक सत्यापन के लिए बैठक निर्धारित किया गया है।

आपसे आग्रह है कि निर्धारित तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर दावों के भौतिक सत्यापन में हमें सहयोग करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में आपका मन्तव्य यदि कोई हो, लिखकर,पदनाम और तारीख देकर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

इस द्वितीय सूचना पर भी आपकी अनुपस्थिति होने पर वन अधिकार नियम 12 "क" की उपधारा 2 के अंतर्गत आगे की कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास अनुशंसा किया जायेगा।

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

वन अधिकार समिति

वन अधिकार समिति

ग्राम ..... पंचायत.....

अंचल..... जिला.....

पत्रांक ...../..... दिनांक .....

प्रेशित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति .....

विशय –**व्यक्तिगत वन अधिकार दावों का दुबारा भौतिक सत्यापन**

महाशय,

दिनांक..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय समिति ..... की बैठक में ग्राम . ..... के .....(संख्या) व्यक्तिगत वन अधिकार दावा अभिलेखों को इस कारण ग्राम सभा के पास वापस भेजा गया था कि दावा अभिलेखों में संलग्न भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है। वन अधिकार समिति ने दोनों अधिकारियों को दिनांक .....को पुनः दावों के सत्यापन करने के लिए लिखित सूचना भेजे थे। पावती संलग्न है।

- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इसीलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उनका हस्ताक्षर नहीं है।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

अतः आपसे आग्रह है कि नियम 12 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे की कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए हमारे वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति के पास अनुशंसा करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

वन अधिकार समिति

सामुदायिक वन अधिकार दावों के लिए उपयुक्त प्रारूप

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

झारखण्ड सरकार

दावा प्रपत्र "ख" और "ग" के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं।

संलग्न 1 – दावेदारों के नाम और हस्ताक्षर/अंगूठा निशान

संलग्न 2 – दावित वन क्षेत्र का नक्शा (वन अधिकार नियम 2012 धारा 12 (1छ)

स्लग्न 3 – समर्थन में साक्ष्य

1. नियम 13 (झ) के अंतर्गत पड़ोसी गांव के बुजुर्गों के शपथ–पत्र

2. नियम 13 (क) के अंतर्गत एक दस्तावेज।

3. नियम 13 (2 ग) के अंतर्गत सरना/कब्रिस्तान/श्मशान/देवस्थान/खेल मैदान/..... का फोटो।

संलग्न 4– अनुमंडल स्तरीय समिति को सामुदायिक वन संसाधनों पर दावा की प्रक्रिया आरंभ करने की दस्तावेजों को उपलब्ध कराने के सूचना की पावती। (नि. 11–1 ख और धारा 6 ख) और 12 (4)

संलग्न 5– वन क्षेत्र पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण के लिए सूचना की पावती (नि. 12–1)

संलग्न 6– सीमांकन के लिए पड़ोसी गांवों के ग्राम प्रधान/ वार्ड सदस्य को सूचना की पावती।(नि. 11–ख)

संलग्न 7– स्थल निरीक्षण की कार्यवाही। (नि. 12क–1)

संलग्न 8– सीमांकन की कार्यवाही। (नि. 12–1च)

संलग्न 9– ग्रामसभा की कार्यवाही। (नि. 12–1छ)

वन अधिकार समिति

ग्राम.....ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड.....जिला .....

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह–अध्यक्ष,

अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति

.....

विषय सामुदायिक वन अधिकार दावा की प्रक्रिया आरंभ करने के बारे में सूचना और जरूरी दस्तावेजों के लिए मांग पत्र।

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 धारा 6 (ख), धारा 12 (4) और धारा 11(1 ख)

महाशय,

आप को सादर सूचित करना है कि ग्राम सभा..... ग्राम पंचायत..... अंचल..... अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर के वन क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के लिए दावा पेश करने की प्रक्रिया दिनांक..... से आरंभ किया है। अतः आप से आग्रह है कि ग्राम वन अधिकार समिति .....को निम्नलिखित दस्तावेजों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

1. ग्राम ..... ग्राम पंचायत.....अंचल..... में पड़ने वाला वन–क्षेत्र के मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति।

(.....वन्य–प्राणी आश्रयणी के क्षेत्र के कंपार्टमेन्ट नं. ..... के मानचित्र की अभिप्रमाणित प्रति)

2. ग्राम..... के खतियान भाग दो/विलेज नोट की छाया–प्रति।

3. ग्राम ..... के मतदाता सूची की छाया–प्रति।

आपके सहयोग की प्रतीक्षा में,

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 के धारा 13 (झ) के आधार पर सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार और सामुदायिक वन अधिकार के लिए बुजुर्गों का शपथ पत्र।

हम

1. श्री/श्रीमती...पिता/पति.....................................उम्र..............ग्राम................................
2. श्री/श्रीमती...पिता/पति.....................................उम्र..............ग्राम................................
3. श्री/श्रीमती...पिता/पति.....................................उम्र..............ग्राम................................
4. श्री/श्रीमती...पिता/पति.....................................उम्र..............ग्राम................................
5. श्री/श्रीमती...पिता/पति.....................................उम्र..............ग्राम................................

आज दिनांक............................... को शपथ लेते हैं कि –

ग्राम .... के सभी निवासी सदियों से गांव की सीमा के अन्दर के कुल .... एकड़ वन क्षेत्र के

[और बेतला/सारंडा आरक्षित वन के कम्पार्टमेन्ट ....के कुल ....एकड़ वन क्षेत्र के (यदि आरक्षित वन–क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं तो उसकी कंम्पार्टमेन्ट सं. और क्षेत्रफल हेक्टेयर में यहां लिखें)]

1. जंगल और वन्य–प्राणियों को अपनी क्षमता के अनुसार रक्षा करते आये हैं।
2. जहां तक संभव है, जंगल को आग से बचाते आये हैं।
3. इस जंगल में मुख्य रूप से .... वृक्ष पाये जाते हैं।
4. बांस, केन्दु पत्ता, कन्द–मूल, जड़ी–बूटी, साग, फल–फूल, महुआ का फल और फूल, मुलहम पत्ता एवं अन्य लघु वन उपजों का संग्रहण और विपणन करते आये हैं।
5. इस जंगल से घर बनाने के लिए और कृषि योग्य औजार बनाने के लिए काष्ठ लाते आये हैं।
6. इस जंगल से जलावन के लिए लकड़ी लाते आ रहे हैं।
7. इस जंगल से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर, बालू मिट्टी लाते आये हैं।
8. इस जंगल में मवेशियों को चराते और चारा लाते आये हैं।

9. उपरोक्त वन–क्षेत्र के ..... नदी..... जलाशय से

(क) गांव तक पानी लाकर सिंचाई करते आये हैं।

(ख) मछली मारते आये हैं।

(ग) मवेशियों के लिए पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते आये हैं।

10. इस जंगल में अन्य जल स्रोत .....(तालाब/डैम/झरना हैं)।

11. उनका कब्रिस्तान/श्मशान घाट उपरोक्त वन–क्षेत्र के प्लॉट नं. ..... में अवस्थित है।

12. उनका पूजा स्थल/ सरना/देवस्थान उपरोक्त वन–क्षेत्र के प्लॉट नं. ..... में अवस्थित है।

13. उनका खेल मैदान उपरोक्त वन–क्षेत्र के प्लॉट नं..... में अवस्थित है।

14. गाँव से .... जाने का रास्ता इस जंगल से होकर है।

15. पड़ोस के गांव .... के लोग इस जंगल से लघु वन उपज संग्रहण करते हैं और जलावन लाते हैं और इस जंगल में मवेशियों को चराते हैं।

16. गांव के जंगल में घुमंतू पशुपालक आते हैं तो उनका विवरण –

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान

1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

5 .....

(जो आप के गांव के लिए लागू नहीं है उसे काट दें और कुछ जोड़ना है तो जोड़ें। सामुदायिक वन अधिकार के लिए यह शपथ–पत्र पड़ोसी गांव के बुजुर्गों से बनवाना हैं)

संलग्न 5

वन अधिकार समिति

ग्राम..... ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड..... जिला .....

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषित –1. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

2- अंचल पदाधिकारी.....

विषय सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के भौतिक सत्यापन

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन–अधिकारों की मान्यता) नियम 2008 की धारा 12(1) 12क (1)

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि वन अधिकार नियम 2008 की धारा 12 के अंतर्गत दिनांक ..... को दिन .....के .....बजे वन अधिकार समिति सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार के दावों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल निरीक्षण करने जा रहे हैं। उसके लिए वन अधिकार समिति के सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य एंव पड़ोसी गाँव से सदस्य ..... पर जमा हो रहे हैं।

आपकी उपस्थिति उस अवसर पर अनिवार्य है। आपसे आग्रह है उपरोक्त तारीख को और उपरोक्त स्थान पर स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर हमें सहयोग करने और आप का प्रतिवेदन यदि कोई हो, लिख कर, पदनाम तारीख के साथ हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

वन अधिकार समिति

ग्राम..... ग्राम पंचायत.....

प्रखण्ड..... जिला .....

पत्रांक –..... दिनांक.....

प्रेषित – 1. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....
2. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....
3. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....
4. ग्राम प्रधान/वार्ड सदस्य, ग्राम.....

विषय सामुदायिक अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों के बारे में भौतिक सत्यापन और सीमांकन।

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन–अधिकारों की मान्यता) नियम 2012 की धारा 11 (1) (ख)

महाशय,

आपको सादर सूचित करना है कि ग्राम.....के सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार का भौतिक सत्यापन और सीमांकन दिनांक ..... को दिन ..... के .....बजे होने वाला है। आपके गांव हमारे गांव के वन–क्षेत्र सीमा में है।

अतः आपसे आग्रह है कि यह सूचना अपनी ग्रामसभा के सदस्यों को विशेष रूप से गाँव के महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को देने का कष्ट करें ताकि वे उपस्थित होकर अपने विचार/सुझाव/आपत्ति, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत कर सकें और हमें सहयोग कर सकें।

आपके विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

(अनुसूचित क्षेत्र में आपके गांव की चारों सीमाओं में अवस्थित ग्रामों के ग्राम प्रधानों को और सामान्य क्षेत्र में वार्ड सदस्यों को लिखित सूचना देकर पावती जरूर लें और दावा अभिलेख में संलग्न करें।)

संलग्न 7

वन अधिकार नियम 2012 की धारा 12 (1) और 12क (1) के अंतर्गत सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकारों के बारे में भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन

आज दिनांक ..... को वन अधिकार समिति ग्राम ..... ग्राम पंचायत..... अंचल.....जिला.....के द्वारा अपने गांव के सामुदायिक वन–संसाधनों पर अधिकार एवं सामुदायिक वन अधिकारों के दावों के भौतिक सत्यापन के लिए स्थल–निरीक्षण किया गया। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित लोग उपस्थिति थे।

1. वन क्षेत्र पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि।
2. अंचल पदाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि।
3. ग्राम वन अधिकार समिति .....के .....महिला सदस्य समेत कुल.....सदस्य
4. ग्राम सभा.....के .....महिला सदस्य समेत कुल..... सदस्य
5. पड़ोसी गांवों के ..... महिला सदस्य समेत कुल.....सदस्य।

निरीक्षण के क्रम में पाया कि :–

1. ग्राम..... का कुल वन क्षेत्र ..... एकड़ है।
2. इस वन क्षेत्र से गांव वाले अपनी जरूरत की वन उपजों को लाते हैं।
3. जलावन के लिए सूखी लकड़ी लाते हैं।
4. इस जंगल से घरेलू उपयोग के लिए पत्थर, बालू और मिट्टी लाते आये है।
5. अपने मवेशियों को इस वन क्षेत्र में चराते हैं और यहां से चारा लाते हैं।
6. बीड़ी पत्ता, बांस, जड़ी बूटी, कन्द–मूल, फल–फूल इत्यादि लघु वन उपजों को पूरे वन क्षेत्र से संग्रहण करते हैं।
7. .....नदी/जलाशय से मछली मारते हैं।
8. इस नदी/जलाशय से सिंचाई के लिए वन भूमि से होकर पानी लाते आये हैं।
9. इस नदी/जलाशय में मवेशियों को पानी पिलाते हैं।
10. इस वन क्षेत्र में अन्य जल स्रोत ....है।
11. इस वन क्षेत्र में निम्न वृक्ष अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

....
....

12. इस गांव का श्मशान घाट/ कब्रिस्तान इस वन क्षेत्र के प्लॉट नं. .....में अवस्थित है।

13. इस गांव का सरना/देवस्थान इस वन क्षेत्र के प्लॉट नं. .....में अवस्थित है।

14. इस गांव का खेल मैदान इस वन क्षेत्र के प्लॉट नं. .....में अवस्थित है।

15. इस गांव से .... जाने के लिए रास्ता इस जंगल से होकर है।

16. इस वन क्षेत्र में पड़ोसी गांव .... के लोग मवेशी चराते हैं, जलावन ले जाते हैं और लघु वन उपजों का संग्रहण करते हैं।

17. इस गांव के जंगल में घुमंतू पशुपालक आते हैं /नहीं आते हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है –

अध्यक्ष	सचिव	राजस्व अधिकारी	वन विभाग के अधिकारी
व.अ.स.	व.अ.स.		

वन अधिकार नियम 2012 की धारा 12 (1) (च) के अनुसार

ग्राम..... अंचल .....के वन क्षेत्र के सीमांकन की कार्यवाही

आज दिनांक .....को वन अधिकार समिति ..... ग्राम पंचायत ..... अंचल ..... जिला ..... ने वन अधिकार नियम 2012 के धारा 12 (च) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम ..... की परंपरागत सीमा के अंदर के वन क्षेत्र की सीमांकन की कानूनी–प्रक्रिया को विधि–सम्मत पूरा किया। इस अवसर पर

1. श्री.....पिता.....उम्र.....
2. श्री.....पिता.....उम्र.....
3. श्री.....पिता.....उम्र.....
4. श्री.....पिता.....उम्र.....
5. श्री.....पिता.....उम्र.....

सभी ग्राम .....के निवासी हैं, जो गांव के वन क्षेत्र की सीमाओं से भली–भांति वाकिफ हैं, उपस्थित थे।

इनके अलावा पड़ोसी गांव

1. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
2. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
3. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
4. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....
5. ग्राम.....के श्री.....पिता.....उम्र.....

भी उपस्थित थे। इनके अलावा ग्राम .....के ग्राम प्रधान, वन अधिकार समिति और गाँव और पड़ोसी गांवों के सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।सभी लोगों ने मिलकर ग्राम ..... के वन क्षेत्र की सीमाओं का अवलोकन किया और पड़ोसी गांव के बुजुर्गों और अन्य लोगों को भी ग्राम ....के वन क्षेत्र की सीमा में कोई विवाद नजर नहीं आया।

ग्राम ..... के कुल वन क्षेत्र..... एकड़ है। ग्राम .....

के वन क्षेत्र के उत्तर में ग्राम.....दक्षिण में ग्राम.....

पूरब में ग्राम.....और पश्चिम में ग्राम.....की सीमा है।

हस्ताक्षर

ग्राम .....के बुजुर्ग

हस्ताक्षर

पड़ोसी गांव के बुजुर्ग

हस्ताक्षर

वन अधिकार समिति .....के सदस्य

ग्राम प्रधान/मुखिया/सभापति का हस्ताक्षर

वन अधिकार समिति

ग्राम..... **ग्राम पंचायत**.....

प्रखण्ड..... **जिला** .....

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रेषित –अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,
अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति..... जिला.....

विषय – **सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकारों का दावा अभिलेख**

संदर्भ – अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम धारा 6 (1) और नियम 2012 के धारा 11 (5)

महाशय,

ग्राम ..... ग्राम पंचायत..... प्रखण्ड..... के

सामुदायिक अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार के दावों का भौतिक सत्यापन और सीमांकन

दिनांक ..... को संपन्न हुआ और दिनांक ..... को संपन्न ग्रामसभा की

बैठक में इन दावों के बारे में उचित प्रस्ताव पारित किया गया। इन दावा अभिलेखों को निम्नलिखित दस्तावेजों के

साथ अग्रेत्तर कारवाई के लिए भेजे जा रहे हैं। इन्हें स्वीकार करने और पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

- दावा पत्र ''ख''के अंतर्गत दावित वन क्षेत्र का कुल रकबा ..... एकड़
- दावा पत्र ''ग'' के अंतर्गत दावित वन क्षेत्र का कुल रकबा ..... एकड़

आपका विश्वासी

---------- ----------

अध्यक्ष सचिव

मो०न०..... मो०न०.....

वन अधिकार समिति

ग्राम ..... अंचल..... जिला .....

पत्रांक..... दिनांक .....

प्रेषित – 1. अंचल पदाधिकारी .....

2. वन क्षेत्र पदाधिकारी.....

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी .....'

विषय सामुदायिक वन अधिकार दावों के भौतिक सत्यापन के लिए द्वितीय सूचना।

संदर्भ – वन अधिकार नियम 12क(2)

महाशय,

दिनांक ..... को संपन्न अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति ..... की बैठक में ग्राम.....ग्राम पंचायत..... के सामुदायिक वन अधिकार और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावों पर विचार किया गया था। अभिलेख में संलग्न दावों के भौतिक सत्यापन प्रतिवदेन में वन अधिकार नियम 12क के उपधारा 1 के अंतर्गत वन और राजस्व विभाग के हस्ताक्षर नहीं होने के कारण दावा अभिलेखों को ग्राम सभा को लौटाया गया है।

अतः इस पत्र द्वारा आप को सादर सूचित करना है कि दिनांक .....दिन .....के ..... बजे दावों की पुनः भौतिक सत्यापन के लिए निर्धारित किया गया है।

आप से आग्रह है कि निर्धारित तारीख को स्वयं उपस्थित होकर अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजकर दावों के भौतिक सत्यापन में हमें सहयोग करने और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में आप का मन्तव्य यदि कोई हो, लिख कर,पदनाम और तारीख देकर हस्ताक्षर करने का कष्ट करें।

इस द्वितीय सूचना पर भी आप अनुपस्थित रहने पर वन अधिकार नियम 12क के उपधारा 2 के अंतर्गत आगे की कारवाई करने के लिए अनुमंडल स्तरीय समिति के पास अनुशंसा किया जायेगा।

आपका विश्वासी

....

अध्यक्ष सचिव

मे0न0..... मो0न0.....

वन अधिकार समिति

ग्राम .... पंचायत..अंचल.. जिला..............................

पत्रांक .... दिनांक ....

प्रेषित – अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष,

अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति ....

विषय – **सामुदायिक वन अधिकार दावों के दुबारा भौतिक सत्यापन**

महाशय,

दिनांक.. को संपन्न अनुमंडल स्तरीय समिति .... के बैठक में ग्राम .... के सामुदायिक वन अधिकारों और सामुदायिक वन संसाधनों पर अधिकार दावों को इस कारण ग्राम सभा के पास वापस भेजा था कि दावा अभिलेखों में संलग्न भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में वन और राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं है।

वन अधिकार समिति ने दोनों अधिकारियों को दिनांक ....को पुनः दावों के सत्यापन करने के लिए लिखित सूचना भेजे थे। पावती संलग्न है।

- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए और भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर किये।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि अनुपस्थित थे। इसीलिए भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में उन का हस्ताक्षर नहीं है।
- निर्धारित तारीख को वन/राजस्व विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित हुए लेकिन भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन में हस्ताक्षर करने से इनकार किया।

अतः आप से आग्रह है कि नियम 12क के उपधारा (2) के अंतर्गत आगे की कानून सम्मत कारवाई करते हुए हमारे सामुदायिक वन अधिकार दावों को जिला स्तरीय समिति के पास अनुशंसा करने का कष्ट करें।

आपके विश्वासी

....	....
अध्यक्ष	सचिव
मे0न0...	मो0न0...

जनजातीय कल्याण आयुक्त

कार्यालय कल्याण परिसर, मोराबादी
राँची – 834 006 (झारखण्ड)

tw-com-jhn@nic.in, twcjhar1@gmail.com
+651-2550750 (टीडब्ल्यूसी सेल)

Transform Rural India

to end poverty

FES
FOUNDATION FOR ECOLOGICAL SECURITY

ISB | Bharti Institute of Public Policy

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार